मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक,– 25 जनवरी 2006

क्रमांक–260–मप्रविनिआ–06 विद्युत अधिनियम 2003 (क्र 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) एवं 181(2) (यू) सहपठित धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं ऐसी निहित शक्तियों जिसके प्रयोग हेतु आयोग अधिकृत है, के सार्मथ्य में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 751–मप्रविनिआ–05 दिनांक 28.3.2005 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रभार निर्धारण की पद्धति एवं सिद्धांत तथा विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य विविध प्रभारों की अनुसूची) विनियम, 2005 में निम्नानुसार संशोधन करता है।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रभार निर्धारण की पद्धति एवं सिद्धांत तथा विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य विविध प्रभारों की अनुसूची) विनियम 2005 में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) यह विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रभार निर्धारण की पद्धति एवं सिद्धांत तथा विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य विविध प्रभारों की अनुसूची) विनियम,2005 प्रथम संशोधन (क्रमांक एजी–22 (i), वर्ष 2006)'' कहे जायेंगे।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रभार निर्धारण की पद्धति एवं सिद्धांत तथा विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य विविध प्रभारों की अनुसूची) विनियम, 2005 जिन्हें इसके बाद प्रधान विनियम कहा जायेगा, के अंग्रेजी संस्करण के अंत में ''शीर्षक'' "1. Metre Hire/Rental /Charges" से पूर्व शब्द, "Schedule" अर्न्तस्थापित किया जावे।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव